परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर पर गठित "राज्य स्तरीय परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी उपसमिति" की दिनांक 27 फरवरी 2024 को सम्पन्न हुई 23वी बैठक का कार्यवृत्त।

परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर गठित "राज्य स्तरीय परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी उपसमिति" की 23वी बैठक मिशन निदेशक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 27 फरवरी 2024(दिन–मंगलवार) को प्रातः 11:30 बजे एन०एच०एम० के सभागार कक्ष में बैठक सम्पन्न हुई, जिसमे अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति निम्नवत् रही:–

(1)	डा० शैलेश कुमार श्रीवास्तव, महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	–	संयोजक
(2)	डा० उदय प्रताप, संयुक्त निदेशक(परिवार नियोजन), परिवार कल्याण महानिदेशालय,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	–	सदस्य सचिव
(3)	डा० दीपिका सेठ, कन्सलटेंट(स्त्री रोग विशेषज्ञ) वीरांगना अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय,गोलागंज, लखनऊ।	–	सदस्य
(4)	डा० ए०के० शर्मा, वरिष्ठ परामर्शदाता, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल,हजरतगंज, लखनऊ।	–	सदस्य
(5)	डा० सूर्यांशु ओझा,महाप्रबन्धक(प०क०), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	–	विशेष आमंत्रित

डा० उदय प्रताप, संयुक्त निदेशक(प०क०) द्वारा अध्यक्ष महोदया की अनुमति से राज्य स्तरीय उपसमिति को यह अवगत कराया गया कि आज की बैठक में मुख्य 02 एजेण्डा है, जिस पर निर्णय लिया जाना है:–

1. **गत् बैठक 20 मई 2023 के पश्चात 38 जनपदों से प्राप्त 410 दावा प्रपत्रों पर निर्णय लिया जाना।**

डा० उदय प्रताप, संयुक्त निदेशक(प०क०), परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा राज्य स्तरीय परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी उपसमिति को यह अवगत कराया गया कि 38 जनपदों से प्राप्त 410 दावा प्रपत्रों के सम्बन्ध में दिनांक 22 दिसम्बर 2023 को मिशन निदेशक/अध्यक्ष महोदया की अध्यक्षता में एक बैठक सम्पन्न हुई थी, बैठक में अध्यक्ष महोदया द्वारा महाप्रबन्धक(परिवार नियोजन), एन०एच०एम०, उ०प्र०, लखनऊ को यह निर्देश दिये गये थे कि निदेशालय स्तर से प्रस्तावित 410 दावा प्रपत्रों का परीक्षण एन०एच०एम० स्तर से भी करा लिया जाए।

तत्क्रम में डा० सूर्यांशु ओझा, महाप्रबन्धक(प०क०), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष महोदया को यह अवगत कराया गया कि आप द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में परिवार कल्याण अनुभाग, एन०एच०एम० से 04 सदस्यीय टीम क्रमशः 1. श्री अरविन्द उपाध्याय, कन्सलटेंट, 2. श्री मनीष सोनी, कन्सलटेंट 3. श्री मसूद सलीम, कन्सलटेंट 4. श्री अखिलेश श्रीवास्तव, कोऑर्डिनेटर द्वारा दिनांक 28.12.2023, 05.01.2024 एवं 09.01.2024 को निदेशालय में जाकर 410 दावा प्रपत्रों का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त 410 दावा प्रपत्रों का निदेशालय स्तर से तैयार की सूची का मूल दावा प्रपत्र से मिलान करने पर सूची में कतिपय टंकण त्रुटि पाई गयी, जिसे ठीक करा दिया गया है।

उपरोक्त का संज्ञान लेते हुए आज की बैठक में प्रस्तुत किए गए नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण से सम्बन्धित 404, जटिलता से सम्बन्धित 03 व मृत्यु से सम्बन्धित 03 कुल 410 दावा प्रपत्रों के सापेक्ष 15 अस्वीकृत पाये गये दावा प्रपत्र (जिसका कारण "नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण की पुष्टि होने की तिथि से 90 दिन के भीतर क्लेम न किया जाना है") को छोड़कर शेष स्वीकृत किए गए 395 दावा प्रपत्र (जिसमे 389 गर्भधारण, 3 जटिलता व 3 मृत्यु है) का बजट सम्बन्धित जनपदों को हस्तान्तरित करने की संस्तुति राज्य स्तरीय उपसमिति द्वारा सर्वसम्मति से इस शर्त के साथ प्रदान की गई कि:–

(Dr Deepika Seth)

1. 395 दावा प्रपत्रों में से 60 ऐसे दावा प्रपत्र जिनका भुगतान (शासनादेश दिनांक 03 जुलाई 2014 के अनुसार) एन०एच०एम० स्तर से किया जाना है, का कुल धनराशि रू० 18,00000/- (अठारह लाख मात्र) सम्बन्धित जनपदों को हस्तान्तरित करने हेतु बजट प्रस्ताव महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय के स्तर से एन०एच०एम० को शीघ्र अति शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।
2. शेष 335 दावा प्रपत्र, जिनका बजट राज्य(परिवार कल्याण महानिदेशालय)/एन०एच०एम० स्तर से सम्बन्धित जनपदों को हस्तान्तरित किया जाना है, मे से 50 प्रतिशत राज्य बजट को छोड़कर शेष 50 प्रतिशत एन०एच०एम० स्तर से किये जाने वाले बजट रू० 1,05,29,250/- (एक करोड़ पॉच लाख उन्तीस हजार दो सौ पचास मात्र) का सम्बन्धित जनपदों को हस्तान्तरित करने हेतु बजट प्रस्ताव महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय के स्तर से एन०एच०एम० को शीघ्र अति शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

अतः 60 दावा प्रपत्रों की धनराशि रू० 18,00000/- (अठारह लाख मात्र) + 335 दावा प्रपत्रों की धनराशि रू० 1,05,29,250/- (एक करोड़ पॉच लाख उन्तीस हजार दो सौ पचास मात्र) इस तरह कुल 395 दावा प्रपत्रों का कुल धनराशि रू० 1,23,29,250/- (एक करोड़ तेईस लाख उन्तीस हजार दो सौ पचास मात्र) सम्बन्धित जनपदों को हस्तान्तरित करने हेतु बजट प्रस्ताव परिवार कल्याण महानिदेशालय के स्तर से एन०एच०एम० को शीघ्र अति शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

2. गत् बैठको में स्वीकृत किए गए दावा प्रपत्रों का शासनादेश दिनांक 21 अगस्त 2019 के अन्तर्गत शेष 50 प्रतिशत बजट सम्बन्धित जनपदों को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना।

महानिदेशक महोदय द्वारा अध्यक्ष महोदया को यह अवगत कराया कि शासनादेश संख्या-49/2023/779/001-5-9002-001-15-2022, दिनांक 07.06.2023 एवं शुद्धि पत्र संख्या-71/2023/1447/ 5-90002(001)/15/2022, दिनांक 30 अगस्त 2023 के माध्यम से प्रदेश में लागू परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी योजना के अन्तर्गत नसबन्दी उपरान्त गर्भधारण/जटिलता/मृत्यु से सम्बन्धित प्रकरणों में गत वर्ष के दावा प्रपत्रों का लम्बित होने एवं मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उपर्युक्त योजना हेतु वित्तीय (03 वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 हेतु) 2023-24 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-35 के राजस्व लेखान्तर्गत कुल प्राविधानित धनराशि रू० 420.00 लाख (प्रतिवर्ष 140 लाख) को कोषागार से आहरित कर राज्य स्वास्थ्य समिति के SHS-NON NHM Bank Account No.34891318924 IFSC Code SBIN0006893, U.P. Civil Sectt. Branch Lucknow में कतिपय शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसके अनुपालन में महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा आदेश संख्याःप०क०/लेखा-3/अनुदान सं०-35/एन०एच०एम०/2023-24/ 509-9, दिनांक 21.09.2023 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-35 के लेखाशीर्षक-2211-परिवार कल्याण-800-अन्य व्यय-11-परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी योजना--42-अन्य व्यय के अन्तर्गत रू० 420/- लाख आहरण एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ के खाते में हस्तान्तरित करने के निर्देश संयुक्त निदेशक/आहरण वितरण अधिकारी, परिवार कल्याण महानिदेशालय को दिये गये।

तत्क्रम में निदेशालय के पत्र संख्याःप०क०/10-जे०डी०/310(Vol-IV)/2023-24/5873, दिनांक 26.09.2023 के माध्यम से परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी योजना के अन्तर्गत गत् बैठकों में स्वीकृत 1045 दावा प्रपत्रों का शेष 50 प्रतिशत बजट रू० 3,46,40,000/- (रू० तीन करोड़ छियालीस लाख चालीस हजार मात्र) सम्बन्धित 57 जनपदों को हस्तान्तरित करने हेतु बजट प्रस्ताव एन०एच०एम०, उ०प्र०, लखनऊ को प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु अध्यक्ष महोदया से अनुरोध किया गया।

इस पर अध्यक्ष महोदया द्वारा महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ से यह कहा गया कि परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी योजना के अन्तर्गत गत् बैठको में स्वीकृत किए गए 1045 दावा प्रपत्रों का आधा बजट (50 %) एन०एच०एम० के स्तर से किया जा चुका है शेष (50 %) बजट, जो कि शत प्रतिशत राज्य बजट है तथा जिसे परिवार कल्याण महानिदेशालय के स्तर से सम्बन्धित जनपदों को हस्तान्तरित किया जाना है, का एन०एच०एम० स्तर से सम्बन्धित जनपदों को बजट हस्तान्तरित किया जाना सम्भव नही है। उचित होगा कि 1045 दावा प्रपत्रों का शेष (50 %) बजट सम्बन्धित जनपदों को परिवार कल्याण महानिदेशालय के स्तर से हस्तान्तरित किया जाए।

(Dr Deepika Seth)

महोदया द्वारा बैठक में निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. निदेशालय स्तर से उपलब्ध कराये गये बजट प्रस्ताव, जो कि शत प्रतिशत राज्य बजट से आवंटित है, इस कारण एन०एच०एम० स्तर पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किया जाना सम्भव नही है इस आशय का एक पत्र महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाही– महाप्रबन्धक,प०क०, एन०एच०एम०)

2. शासनादेश दिनांक 21 अगस्त 2019 से आच्छादित दावा प्रपत्रों के भुगतान के सम्बन्ध में बजट आवंटन हेतु जारी शासनादेश दिनांक 07.06.2023 एवं शुद्धि पत्र दिनांक 30 अगस्त 2023 द्वारा आवंटित धनराशि 420.00 लाख का व्यय किये जाने हेतु ''एन०एच०एम० को अधिकृत करने/महानिदेशालय स्तर से सम्बन्धित जनपदों को बजट हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में'' शासन से दिशा–निर्देश प्राप्त करने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किया जाए।

(कार्यवाही– महानिदेशक, प०क० महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ)

3. परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी योजना के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय उपसमिति की आगामी बैठक आहूत किये जाने से पूर्व निदेशालय स्तर से प्रस्तावित दावा प्रपत्रों का परीक्षण महाप्रबन्धक,प०क०, एन०एच०एम० स्तर से जरूर किया जाए।

(कार्यवाही– महाप्रबन्धक,प०क०, एन०एच०एम०)

4. महाप्रबन्धक(प०क०), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ के स्तर से नामित 04 सदस्यीय टीम द्वारा 410 दावा प्रपत्रों का परीक्षण उपरान्त तैयार की गयी संशोधित सूची को सत्यापित किया जाए।

(कार्यवाही– महाप्रबन्धक,प०क०, एन०एच०एम०)

5. अस्वीकृत दावा प्रपत्रों की पृथ्क से सूची तैयार कर उसमे राज्य स्तरीय परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी उपसमिति के सदस्यों के हस्ताक्षर कराया जाए।

(कार्यवाही– महानिदेशक, प०क० महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त किया गया।

(डा० दीपिका सेठ)
स्त्री रोग विशेषज्ञ,
अव० महि० चिकित्सालय,लखनऊ
सदस्य

(डा० ए०के० शर्मा)
सर्जन,
श्या०प्रसा०मुख०, सिविल, अस्पताल, लखनऊ
सदस्य

(डा० सूर्यांशु ओझा)
महाप्रबन्धक(परिवार नियोजन),
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ

(डा० उदय प्रताप)
संयुक्त निदेशक(परिवार नियोजन),
प०क० महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ
सदस्य सचिव

(डा० शैलेश कुमार श्रीवास्तव)
महानिदेशक,
संयोजक

(डा० पिंकी जोवल),
मिशन निदेशक,
अध्यक्ष